न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

बइजलास डॉ. विना प्रधान–आई0ए0एस0

निगरानी एल.आर. –90 बी (7)/ 18/2019/नागौर (2019/00018)

1– श्री सत्यनारायण पुत्र मोहन लाल जाति माली, निवासी पोस्ट ऑफिस के सामने, सेन्दडा रोड, ब्यावर जिला अजमेर।

अपीलकर्ता

बनाम

1– सभापति नगर परिषद ब्यावर जिला अजमेर।
2– आयुक्त नगर परिषद ब्यावर जिला अजमेर।
3– जिला कलक्टर अजमेर।
4– तहसीलदार ब्यावर, जिला अजमेर।
5– उपपंजीयक ब्यावर, जिला अजमेर।
6– प्राधिकृत अधिकारी (सहायक कलक्टर) ब्यावर।

प्रत्यर्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 90 बी (7) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व आदेश दिनांक 02.01.2002 जो प्राधिकृत अधिकारी, नगर परिषद ब्यावर द्वारा ग्राम फतेहपुरिया दोयम के खसरा नम्बर 598,599 की भूमि की किस्म को परिवर्तन करने बाबत पारित किया गया

उपस्थित :– 1– श्री अजीत सिंह राठौड, राकेश जैन, अधिवक्ता
अपीलकर्ता
2– श्री एस.के. सेठी राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक :30.12.2020

यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी (7) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी, नगर परिषद ब्यावर जिला अजमेर के आदेश दिनांक 02.01.2002 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उक्त अपीलाधीन/आक्षेपित आदेश द्वारा अपीलार्थी की खातदारी का कारण की आराजीयात **ग्राम फतेहपुरिया दोयम के खसरा नम्बर 598,599 की भूमि** को प्राधिकृत अधिकारी, नगर परिषद, ब्यावर द्वारा **राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी (ख) के तहत आदेश पारित करके** नगर परिषद ब्यावर के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये गये जिससे व्यथित होकर इस आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.01.06 12:04:54 IST
Reason: Approved

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक विद्वान निगरानीकर्त्ता द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 05 पर निगरानीकर्त्ता की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 02.01.2002 की जानकारी प्रार्थी/अपीलार्थी को ब्यावर तहसील से उस समय बाहर निवास करने के कारण वापस ब्यावर लौटने पर हुई जिस पर उसके द्वारा अधिवक्ताओ से विचार विमर्श करने के बाद अधिवक्ता के सुझााव अनुसार आदेश की अपील माननीय न्यायालय मे की गई है जिसमे न्याय मिलने की पूर्ण सम्भावनाएं है। प्रतिलिपि हेतु आवेदन करने पर प्रतिलिपि मिलने के तुरन्त बाद यह अपील प्रस्तुत की गई है। अधिवक्ता के सुझाव से पूर्व प्रार्थी/अपीलार्थी को इस बात का ज्ञान नही था की 90 बी की कार्यवाही जो कि विधि विरूद्ध थी, को न्यायालय मे अपील द्वारा निरस्त करवाया जा सकता है। ग्राम फतेहपुरिया दोयम के खसरा नम्बर 598,599 की भूमि मे स्थित आवासीय सम्पत्ति के अपीलार्थी/निगरानीकर्त्ता रेकार्डडेड व विधिवत रूप से उत्तराधिकारी है जिसे प्रत्यर्थीगण/गैर निगरानीकर्त्ता ने पक्षकार संयोजित किये बगैर उनकी पीठ पीछे नगर परिषद ब्यावर के कर्मचारियों व अधिकारियो ने सांठ गांठ करके 90 बी की कार्यवाही की है जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को नही थी जो 90 बी के आदेश की नकल मिलने के बाद हुई। अपीलकर्त्ता/निगरानीकर्त्ता को जानकारी होने के बाद बिना विलम्ब किये यह अपील/निगरानी न्यायालय मे पेश कर दी गई। प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन अपीलकर्त्ता /निगरानीकर्त्ता के पक्ष मे है। अतः अपीलकर्त्ता का मियाद अधिनियम की धारा 05 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियादशुमार फरमायी जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जावें।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी/निगरानीकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता की बहस प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा 05 के जवाब मे निवेदन किया गया कि अपीलार्थी / निगरानीकर्त्ता का प्रार्थना पत्र सहकारण नही होने से स्वीकार किये जाने योग्य नही है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील भारी मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। मियाद मे छुट चाहने हेतु प्रत्येक दिवस का यथोचित व सकारण दर्शाते हुए निवेदन करने पर ही मियाद मे छुट दी जा सकती है जो कि प्रस्तुत प्रकरण मे अपीलार्थी द्वारा नही दर्शाया गया है। अतः ऐसी स्थिति मे इस प्रकरण मे प्रार्थी/अपीलार्थी को मियाद मे छुट दिया जाना कतई न्यायोचित नही होने से प्रार्थी/अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा 05 खारिज किया जाकर अपील को मियाद के बिन्दु पर इसी स्तर पर ही खारिज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.01.06 12:04:54 IST
Reason: SelfAttested

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी / निगरानीकर्त्ता के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्को तथा प्रत्यर्थीगण अभिभाषक के जवाबी बहस पर मनन व गौर किया एवं इसी संबंध मे माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के

दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने मे हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलार्थी / निगरानीकर्त्ता के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि प्राधिकृत अधिकारी ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.01.2002 न्याय, नियम व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 द्वारा ग्राम फतेपुरिया दोयम के खसरा नं. 599 की 90 बी (ख) की कार्यवाही प्रशासन शहरों की और शिवरों मे संम्पादित कर दी गई जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थी इस खसरा की भूमि का खातेदार है परन्तु – अप्रार्थीगण 1 और 2 ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए बिना प्रार्थी को सूचित किये 90 बी (ख) की कार्यवाही सम्पादित कर दी गई जो कि विधि के विधान के विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य है। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 द्वारा प्रार्थी के ग्राम फतेपुरिया दोयम के खसरा न. 598 जो कि जमाबन्दी में आबादी घोषित किया हुआ है, की भी 90 बी (ख) की कार्यवाही सम्पादित करते हुए लेआउट प्लान स्वीकृत कर दिया गया जबकि 90बी (ख) की कार्यवाही कृषि भूमि से अकृषि (अन्य परियोजनार्थ) पर ही नियमानुसार लागू होती है, आबादी भूमि पर नही। परन्तु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खसरा नं. 598 फतेपुरिया दोयम जो कि आबादी है, की भी 90 बी (ख) की कार्यवाही सम्पादित कर दी गई, जो निरस्त करने योग्य है, अतः निरस्त की जावें।

दौराने बहस अपीलार्थी / निगरानीकर्त्ता अधिवक्ता का यह कथन है कि लेआउट प्लान खसरा नं. 598 की भूमि भी लेआउट प्लान खसंरा न. 599 में दर्शा दी गई है परन्तु नक्शे में 598 का जिक्र नही किया गया है। तात्पर्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 एवं इनके कर्मचारियों द्वारा बिना मौके की जांच किये अपने कार्यालय में बैठकर नक्शा बनाकर उसे स्वीकृत कर दिया गया जो कि गलत होने से निरस्त योग्य है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्राधिकृत अधिकारी ब्यावर द्वारा विधिक प्रक्रिया की अनुपालना किये बगैर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा अगर खसरा नं. 598 और 599 का मौके पर जाकर जांच करके लेआउट प्लान बनाया जाता तो उन्हें ज्ञात होता कि खसरा न. 598 का प्लॉट सं. 23 अपीलार्थी का है, किन्तु अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा बिना मौके पर मौका रिपॉर्ट और स्वामित्व संबंधित दस्तावेजो की बिना जांच किये ही आनन फानन में लेआउट प्लान स्वीकृत कर दिया गया, जबकि खसंरा न. 598, 599 को जोडने के लिए मुख्य सडक दोनो खसरो से सटती हुई निकली है परन्तु अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने प्रार्थी के प्लॉट सं 23 को रास्ता दर्शाते हुए दोनो खसरों के लेआउट प्लान को एक साथ स्वीकृत कर दिया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.01.06 12:04:54 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अपीलार्थी / निगरानीकर्त्ता अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि स्वीकृत लेआउट प्लान मे भूमि तो खसरा 598 जिसमे कि प्रार्थी का प्लॉट संख्या 23 है, रास्ता दर्शा दिया गया परन्तु लेआउट प्लान में खसरा नं. 598 की भूमि को 599 बतलाकर लेआउट प्लान स्वीकृत कर दिया गया जबकि और लेआउट प्लान के अंदर 598 का कहीं पर भी कोई जिक्र नही है । खसरा संख्या 598, 599 का जो लेआउट प्लान स्वीकृत किया गया है वह गलत है और प्रार्थी

के प्लॉट की बिना जांच किये ही रास्ता घोषित करके प्रार्थी को हानि पहुचाने की कोशिश की गई है। अतः लेआउट प्लान निरस्त किया जावे ।

दौराने बहस अपीलार्थी / निगरानीकर्त्ता अधिवक्ता का यह भी कथन है कि नगरपालिका अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भूमि की 90 बी की कार्यवाही सम्पादित करने से पूर्व खातेदार/हितबंधदारी को सूचित किया जाये और आपत्तियां आमत्रित की जायें इसके लिए अखबार छाया की जाये । परन्तु खसरा न. 598 फतेहपुरिया दोयम के लिए कोई भी कार्यवाही नियमों के तहत् सम्पादित नहीं की गई और जब अपीलार्थी को 90 बी की कार्यवाही की जानकारी हुई तो उसके द्वारा आपत्ति नगर परिषद में प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 के समक्ष पेश की गयी। अपीलार्थी ने एम/एस चंदेला अजमेर द्वारा संसोधित लेआउट प्लान उक्त दोनो खसरा नं. 598, 599 के आवासीय कॉलोनी का सर्वे करवाने के बाद प्लाटों की सं. 23 दर्शाई गई है । अगर पूर्व प्लान के अनुसार कॉलोनी में प्लॉट 22 दर्शाने पर खसरा नं. 598 की भूमि लेआउट प्लान (पूर्व) मे नही आती है और प्रार्थी का प्लाट सं 23 को दर्शाने के बाद ही लेआउट प्लान पर खसरा नं. 598 व 599 लिखा जा सकता है। परन्तु प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 ने अपने अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ आपस में लापरवाही बरतते हुए स्वीकृत लेआउट प्लान मे खसरा न. तो केवल 599 ही लिखा है जबकि भूमि खसरा न. 598 की भी प्लांट संख्या 23 के रूप में ले रखी है ।

दौराने बहस अपीलार्थी अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि खसरा नं. 598 की 90 बी की कार्यवाही नियम विरूद्ध की गई और साथ ही लेआउट प्लान भी गलत व मनमाने तौर पर खातेदारों के प्लॉटों को सड़के बतलाकर बिना सम्पति की जांच किये व बिना मौके पर उपस्थित हुये ही फर्जी व बनावटी पटटे प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 द्वारा जारी किये जा रहे है एवं खसरा नं. 598 व 599 में अनियमित कार्यवाही करने और अपीलार्थी को हानि पहुचाने से रोकने हेतु खसरा नं. 598 की 90 बी की कार्यवाही व अन्य कार्यवाही, तथा 599 आबादी भूमि के बिना जांच व बिना मौका जो लेआउट प्लान की कार्यवाही की गयी है उसको निरस्त करते हुए नया संसोधित लेआउट प्लान स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये जावें एवं साथ ही प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 को पांबद करें कि वे खसरा न. 598, 599 की आगे की समस्त कार्यवाही को बंद करें, नहीं तो अपीलार्थी को अपूर्ण क्षति हो सकती है। अंत में अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.01.2002 को न्यायहित में खसरा नंबर 598, 599 फतेहपुरिया दोयम, ब्यावर पर जारी आदेश को निरस्त करने के आदेश किये जावें । अन्य आदेश जो उचित समझें वह माननीय न्यायालय पारित करें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.01.06 12:04:54 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी/ निगरानीकर्त्ता अधिवक्ता के बहस के जवाब में प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता द्वारा वरवक्त बहस यह निवेदन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर (राजस्थान) द्वारा पारित आदेश /निर्णय दिनांक 02.01.2002 पूर्णतया कानूनन एवं विधिसम्मत है। यह आदेश पारित करने से पूर्व सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया है एवं इसमें

कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है। किसी भी भूमि की 90 बी की कार्यवाही सम्पादित करने से पूर्व खातेदार/हितबद्धधारी को जरिये अखबारसाया सूचित किया जाता है जो इस प्रकरण में भी विधिवत रूप से किया गया है। अपीलार्थी अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि खसरा नम्बर 598 फतेहपुरिया दोयम के लिए कोई भी कार्यवाही नियमों के तहत सम्पादित नहीं की गई है तथा प्रार्थी को सूचित किए बिना ही 90 बी (ख) की कार्यवाही सम्पादित कर दी गई है जो विधि के प्रावधानों के विरूद्ध है। प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आक्षेपित आदेश के संलग्न सम्बन्धित खसरा नम्बरों की जो सूची जारी की गई है उसमें 14 ग्रामों की कई हजार खातेदारों की हजारों खसरा नम्बरान की हजारों रकबा भूमियां सम्मलित है अतएव ऐसी स्थिति में प्रत्येक खसरा नम्बर के लिए व प्रत्येक खातेदार को पृथक–पृथक नोटिस जारी कर उन्हें सूचित करते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुना जाना कतई व्यावहारिक एवं सम्भव नहीं है, यह कार्य अखबारसाया के द्वारा ही सम्पादित किया जाता है जो कि प्रस्तुत प्रकरण में भी किया गया है। अतः अपीलार्थी अधिवक्ता का यह कथन सवर्था असत्य है कि प्रस्तुत प्रकरण में 90 बी (ख) की कार्यवाही किए जाने से पूर्व न तो उसे सूचित किया गया एवं न ही सुना गया। साथ ही 90 बी की कार्यवाही के उपरान्त लेआउट प्लान की स्वीकृति को भी अपीलार्थी द्वारा गलत व नियमविरूद्ध किया जाना बताया गया है जबकि लेआउट प्लान की कार्यवाही भी विधिवत तरीके से सम्पादित की गई है। प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि यदि एक क्षण के लिए यह मान भी लिया जावे कि आबादी के खसरा नम्बर 598 की किस्म आबादी होते हुए भी 90 बी (ख) कार्यवाही की गई है तो इससे कोई कानून का उल्लंगन नही हुआ है ओर न ही इसके कारण प्रकरण की प्रकृति पर कोई विपरीत प्रभाव ही पड रहा है

अपीलार्थी / निगरानीकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की जवाबीबहस के जवाबुलजवाब में निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जब खसरा नम्बर 598 किस्म आबादी होते हुए भी इसकी 90 बी की कार्यवाही किये जाने पर जब एक बार अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की ओर से प्रत्यर्थीगण के द्वारा स्वीकार किए गए तथ्यों को साबित करना जरूरी नहीं है जैसा कि **“साक्ष्य अधिनियम,1872 धारा 58–स्वीकार किए गए तथ्यों को साबित करना अपीलार्थी / निगरानीकर्त्ता के लिए जरूरी नहीं है– जहां पक्षकारों के तथ्य कि बहुत ही विनिर्दिष्ट एवं पूर्ण स्वीकृति होती है वहां उस स्वीकृति को स्वीकृति देने वाले पक्षकार के विरूद्ध प्रयुक्त किया जा सकता है।”** अपने इस कथन के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा [illegible]ब्लयू 2003 (3) राज. (एच.सी) मदनलाल बनाम विधिक प्रतिनिधि [illegible] एस.बी. सिविल प्रथम अपील संख्या 76/1980 निर्णय दिनांक 12.09.200[illegible] और ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया गया कि जब इस प्रकरण में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के कथन को कि “ **खसरा नम्बर 598 कि किस्म भूमि आबादी होने के बावजुद इस भूमि की 9। बी की कार्यवाही की गई है”**के तथ्यों को एक बार स्वीकार कर लिया गया है तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थी / निगरानीकर्त्ता को इन्हें साबित

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.01.06 12:04:54 IST
Reason: SelfAttested

करना जरूरी नहीं है और इस स्वीकृति को स्वीकृति देने वाले पक्षकार अर्थात प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध प्रयुक्त किया जाना है।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया गया। अपीलार्थी / निगरानीकर्त्ता ने यह प्रस्तुत अपील/निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी (7) के तहत प्रस्तुत की है जिसमें धारा 90 बी की कार्यवाही एवं स्वीकृत लेआउट प्लान को चुनौती दी गई है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन उपरान्त यह सपष्ट होता है कि पत्रावली में कहीं भी अपीलार्थी वादग्रस्त अराजीयत खसरा न. 598,599 ग्राम फतेहपुरिया दोयम की 90 बी की कार्यवाही से पूर्व अपीलार्थी को सूचित किये जाने बाबत जारी नोटिस अथवा अखबारसाया का कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। किसी भी भूमि की 90 बी की कार्यवाही सम्पादित करने से पूर्व खातेदार/हितबद्धधारी को सूचित किया जाना और उनसे आपत्तियों आमंत्रित किए जाने के लिए नोटिस या अखबारासाया आमंत्रित किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया। इसके अभाव में अपीलार्थी / निगरानीकर्त्ता प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अपना समुचित पक्ष रखने से वंचित रहे है। रिकार्ड पर मौजूद जमाबन्दी सवंत् 2052 से 2055 ग्राम फतेहपुरिया दोयम के अवलोकन से यह भी सपष्ट होता है कि अपीलार्थी सत्यानारायण पुत्र मोहनलाल कौम माली खसरा न. 598,599 के रिकार्डेड खातेदार रहे है। इस जमाबन्दी के अनुसार खसरा न. 598 आबादी है जिससे अपीलार्थी के इस कथन की पुष्टि होती है कि खसरा न. 598 कृषि भूमि नहीं होकर आबादी भूमि है ऐसी स्थिति में खसरा न. 598 बाबत 90 बी (ख) की कार्यवाही एवं लेआउट प्लान स्वीकृति गैरकानूनी एवं असंवैधानिक है क्योंकि 90 बी (ख) की कार्यवाही कृषि भूमि से अकृषि (अन्य प्रयोजनार्थ) पर ही नियमानुसार लागू होती है, न कि आबादी भूमि पर।

अपीलार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि लेआउट प्लान खसरा न. 598 की भूमि भी लेआउट प्लान 599 में दर्शायी दी गयी है परन्तु नक्शें में 598 का जिक्र नहीं किया गया है। अप्रार्थी स. 1 व 2 द्वारा बिना मौके की जांच किए ही नक्शा बनाकर तैयार करवाते हुए उसे स्वीकृत कर दिया गया है। यदि अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा खसरा न. 598 एवं 599 का मौके पर जाकर व जांच करके लेआउट प्लान बनाया जाता तो उन्हें स्वतः ही ज्ञात हो जाता कि खसरा न. 598 का प्लाट सं. 23 अपीलार्थी का है। बिना मौके पर मौका रिपोर्ट और स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेजों की जांच किए बिना ही आनन फानन में लेआउट प्लान स्वीकृत कर दिया गया है जबकि खसरा न. 598,599 को जोडने के लिए मुख्य सडक इन दोनो खसरो से सटती हुई निकली [illegible] प्रार्थी के प्लाट सं 23 को रास्ता दर्शाते हुए दोनों खसरो को [illegible] कर दिये गये है। स्वीकृत लेआउट प्लान में भूमि तो खसरा न. 598 है जिसमें प्रार्थी का प्लाट सं. 23 है और जिसे रास्ता दर्शा दिया गया है, परन्तु लेआउट प्लान में खसरा न. 598 की भूमि को 599 बताकर लेआउट प्लान स्वीकृत कर दिया गया है जबकि लेआउट प्लान के अन्दर 598 का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। अपीलार्थी के इन कथनों की पुष्टि रिकार्ड पर उपलब्ध नगर परिषद,ब्यावर, वरिष्ठ नगर नियोजक जोन अजमेर एवं तहसीलदार,ब्यावर के मध्य हुए पत्राचार से भी होती है जैसा कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Veenu Pradhan
Date: 2021.01.06 12:04:54 IST
Reason: SelfAttested

(1) आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर के पत्रांक 16729 दिनांक 31.3.2014 द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक जोन अजमेर को वादग्रस्त आराजीयत की संशोधित लेआउट प्लान में तकनीकी राय भिजवाने बाबत लिखते हुये अंकित किया गया है कि केवल खसरा न. 599 के ही लेआउट प्लान में तकनीकी राय भिजवाई गई है व लेआउट प्लान में कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है। अतः खसरा न. 598,599 में स्थित कोलोनी का संशोधित लेआउट भिजवाया जा रहा है जिस पर तकनीकी रिपोर्ट भिजवायी जावे। (2) आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर के पत्रांक 14285 दिनांक 24.12. 2014 द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक जोन अजमेर को वादग्रस्त आराजीयत की भूमि पर बसी कोलोनी की तकनीकी रिपोर्ट भिजवाने बाबत लिखते हुये अंकित किया गया है कि "कृषि भूमि पर बसी राजस्व ग्राम फतेहपुरिया दोयम के खसरा न. 599 मे स्थित मोहन नगर का लेआउट प्लान पूर्व में आपके पत्र क्रमांक 3233 दिनांक 18.11.2013 द्वारा तकनीकी राय भिजवायी गई जिसे एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 31.12.2013 द्वारा स्वीकृत किया गया है जिसमें खसरा न. 598 का मेन्शन नहीं किया है जबकि उक्त लेआउट खसरा न. 599 व 598 में स्थित है अतः संशोधित लेआउट प्लान में खसरा न. 599 व 598 अंकित कर भिजवाते हुए लेख है कि मास्टर प्लान के अनुरूप भू उपयोग एवं तकनीकी राय भिजवावें ताकि प्रकरण आगामी ले आउट समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाकर निस्तारण किया जा सके।" इस पत्र के प्रतिउत्तर मे वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन अजमेर, द्वारा आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर को अवगत कराया गया कि नगर परिषद के पूर्व प्रेषित पत्र 10082 दिनांक 27.09.2013 में खसरा न. 598 अंकित नहीं होने के कारण खसरा न. 599 हेतु ही तकनीकी राय प्रेषित की गई थी। अतः अभियान के दौरान के प्रकरण में अब कोई कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है।

नगर परिषद,ब्यावर की कार्यालय टिप्पणी दिनांक 31.03.2014 के पैरा एन–4 के विवेचन में भी उक्त पत्राचार एवं वादग्रस्त आराजीयत बाबत परिषद द्वारा एन.एफ.इन्फ्राटेक कन्सलटेट कम्पनी से सर्वे एवं संशोधित सर्वे करवाये जाने की कार्यवाही में प्लॉटों की संख्या 22 अथवा 23 पर विवाद की पुष्टि होती है। इससे यह जाहिर होता है कि प्रारम्भ से ही वादग्रस्त आराजीयत बाबत अपीलार्थी / निगरानीकर्त्ता एवं प्रत्यर्थीगण के विवादास्पद की स्थिति रही है।

अतएव उपरोक्त परिस्थितियों में प्रस्तुत प्रकरण में प्राधीकृत अधिकारी नगर परिषद,ब्यावर एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित आदेश/निर्णय दिनांक 02.01.2002 जिसके द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी के तहत खसरा न. 599 ग्राम फतेहपुरिया दोयम की 90 बी (ख) की कार्यवाही एवं खसरा न. 598 जो कि [illegible] से आबादी घोषित है, की 90 बी (ख) की कार्यवाही एवं स्वी[illegible] 598 में स्थित अपीलार्थी के प्लाट स. 23 जिसको लेआउट प्लान में रास्ता दर्शाया गया है) की हद तक हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से अपीलाधीन आदेश को उक्त हद तक निरस्त किया जाना न्यायसंगत होगा। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का सहसम्मान अवलोकन किया गया जो तथ्यपरक समानता होने से यथावत चस्पा होते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.01.06 12:04:54 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्राधीकृत अधिकारी नगर परिषद,ब्यावर एवं सहायक कलक्टर,ब्यावर द्वारा पारित आदेश/निर्णय दिनांक 02.01.2002 जिसके द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी के तहत खसरा न. 599 ग्राम फतेहपुरिया दोयम की 90 बी (ख) की कार्यवाही एवं खसरा न. 598 जो कि जमाबन्दी में आबादी घोषित है, की 90 बी (ख) की कार्यवाही एवं स्वीकृत लेआउट प्लान (खसरा न. 598 में स्थित अपीलार्थी के प्लाट स. 23 जिसको लेआउट प्लान में रास्ता दर्शाया गया है) की हद तक निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका, ब्यावर को प्रति प्रेषित करते हुए उन्हें निर्देश दिए जाते है कि खसरा न. 599 ग्राम फतेहपुरिया दोयम की 90 बी (ख) की कार्यवाही एवं खसरा न. 598 जो कि जमाबन्दी में आबादी घोषित है, की 90 बी (ख) की कार्यवाही एवं स्वीकृत लेआउट प्लान / मानचित्र {खसरा न. 598 में स्थित अपीलार्थी के प्लाट स. 23 जिसको लेआउट प्लान में रास्ता दर्शाया गया है} बाबत अपीलार्थीगण से मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लेकर उन्हें सुनवायी का समुचित पर्याप्त अवसर प्रदान कर नये सिरे से आदेश/निर्णय पारित करें।साथ ही आदेश दिए जाते है कि तीन माह की अवधि में इस निर्णय की पालना कर, पालना से न्यायालय को अवगत कराया जावे।

(डॉ. वीना प्रधान)
सभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.01.06 12:04:54 IST
Reason: SelfAttested